

## वित्तीय दिशा निर्देशन

1. कार्यक्रम का नाम - आई० डी० एस० पी०
2. बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर)  
- आई० डी० एस० पी०
3. बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)  
- F. 4
4. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम)  
- IDSP कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में एक-एक District Surveillance Unit की स्थापना की जानी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में एक-एक District Level Laboratory की स्थापना की जानी है। कालान्तर में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर एक-एक Surveillance Unit की स्थापना की जानी है। भारत सरकार से इन सब मदों के लिए - Cash & Kind के रूप में सहायता प्राप्त होती है।
5. इकाई राशि (रु० लाख में)  
- 701230.8/ प्रति जिला।

S.N.	Heads	Unit	Unit Cost (In Rs.)	Unit (In Lacks)
1.	Incremental staff/ personnel + Operational cost	39	624307.7	243.48
2.	Training cost	39	51282.05	20.00
3.	IEC	39	25641.03	10.00
4.	Lab. equipment etc.			0.00
	<b>Total</b>		<b>701230.08</b>	<b>273.48</b>

6. वित्तीय दिशा निर्देशन
  - रुपया 701230.8 राज्य स्तर के लिए कर्णाकित की जाती है।
  - शेष राशि 38 जिलों के लिए 701230.8 रुपया प्रति जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराई जा सकती है
  - वर्तमान में अभी जिलों में नियुक्ति नहीं की जा सकी है कालान्तर में नियुक्ति के पश्चात भारत सरकार के वित्तीय निदेश के अनुसार जिलों को संसूचित किया जा सकता है।
  - आई० ई० सी० मद में भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय निदेश के अनुसार जिलों को संसूचित किया जा सकता है।

7. इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

पत्रांक - SHSB/Admin/176/2007/3916 दिनांक 02.07.07

पत्रांक - SHSB/Admin/176/2007/4655 दिनांक 07.11.07

8. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम

- डा० ए० के० तिवारी

9. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर

- 9470003026